

3

351

70508 m



8316

55

बिहार BIHAR 7689 30.12.2010 सुमित्रा देवी 1000/- एलन कुमार सिन्हा एक गांव/काहा थाना एड्डर
बिहार नालंदा प्रखण्ड प्रखण्ड
1000X1=1000/-

B.949051



बिहार सरकार


अवर निबंधन कार्यालय, हिलसा

दिनांक 30/12/2010 को श्री/श्रीमती Sumitra Devi
निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 1000/- मुद्रक शुल्क एवं एक
अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राहक प्राप्त किया। जिन लेख्यकेन्द्रिय
निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निरूपण
पीछे अंकित है। इसे दस्तावेज सं० 55 के रूप में मुद्रक से 4 की
351 से 355 तक CD 1 में आज निबंधित एवं कुल 1407 पृष्ठों में धारित किया गया।

(Nigam Prakashan, Jharsa)

निबंधन उपलब्धिका

Date: 30/12/2010



- संस्थापक का नाम :- श्री मति सुमित्रा देवी पति श्री ललन कुमार सिन्हा,
निवासी ग्राम. भातु किगडा मण्डल एडंगरडीह, पत्रालय +
थाना. एडंगर एएच. जिला. नालंदा
- ट्रस्टी का नाम :- श्री ललन कुमार सिन्हा पति स्व. वावुचन्द प्रसाद ग्राम
भातु किगडा मण्डल एडंगरडीह. पत्रालय + थाना. एडंगर
एएच. जिला. नालंदा - समीप

सही मलन कुमार सिन्हा 27/12/2010
लखनऊ से सही व वालका
बुध पत्र का लमका लगे
30/12/2010

Serial No : 8316
Token No : 8350
Type & Status
of Party

Deed No : 55
of 2010
Name of Party

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Little

Self

Sumitra Devi
30/12/10



Signature of Party
Sumitra Devi

Signature of Party

Vinay Paswan

30/12/10



Signature of Party

Manoj Kumar


30/12/2010



Signature of Party

Surendra Prasad

30/12/10



Signature of Party

Lalan Kumar Sinha

30/12/2010



Signature of Party

Ravi Ranjan Kumar Goutam

30/12/2010



Signature of Party

Krishan Mohan Prasad

30/12/10



Identifier

Signature of Party

141

30/12/10

- 3. श्री मनोज कुमार पिता श्री कामना प्रकाश चानू
घाट, चाना-मालवांग पंचायत सिरी, अछपस
- 4. लुई प्रकाश पिता श्री प्रहलाद प्रकाश शर्मा लोहेपानगर बुकी इन्डिया
नगा परना- 4, चाना केंद्र वाग/ जिला- परना - कोषाध्यक्ष
- 5. विनय/सुबान पिता श्री (म.प्र.वे.) 11 सुबान ग्राम कौसुक, पो०
राणा विहार चाना- दीपनगर जिला- नालन्दा - अध्यक्ष
- 6. शिवेंद्र कुमार जौलम पिता श्री जय राम सिंह ग्राम- महमदपुर
परीचाक, पो०- (हालपुरा नागा- (वेग) हाप, जिला- नालन्दा, छत्त

सुनीता देवी वांछुवारा राणा, चाना

गो 30/12/10
20/12/2010

- 3. कार्य क्षेत्र :- 30 इंस का कार्य क्षेत्र राज्य विहार रीगा, सुमित्रा
एजुकेशनल ट्रस्ट का एमालि- पत्र
- 4. ट्रस्ट का नाम एवं संघीय मूल्य :- सुमित्रा एजुकेशनल ट्रस्ट, अंशेन
मौ 50,000/- पचास लाख रुपये मात्र

5. ट्रस्टी का स्थान :- ग्राम- कौसुक, पञ्चालय- राणा विहार, चाना-
दीपनगर जिला- नालन्दा

- 6. उद्देश्य :- 30 इंस ट्रस्ट का मिशन/लक्षित उद्देश्य रीगा :-
(क) शिक्षण ट्रस्ट की स्थापना कर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक
कर विद्या उपलब्ध कराना।
(ख) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को कम्प्यूटर एवं अन्य तकनीकी
प्रशिक्षण देना।
(ग) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों एवं अन्य लोगों को समाज के
सर्वांगीण विकास हेतु युद्धमालय एवं वाचनालय की सुविधा उपलब्ध
कराना।

(घ) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से विकलांग, अनाथ एवं जातीय बच्चों को
शुद्ध शिक्षा एवं पुस्तकें उपलब्ध कराना

(ङ) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से मैथिली बच्चों को कार्यालय मदद करना
एवं शिक्षण उपलब्ध कराना।

7. सुमित्रा एजुकेशनल ट्रस्ट की नियमावली :- (i) ध्येयता :- कोई भी
जो युद्ध भिन्नी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो तथा ट्रस्ट के नियमों एवं
उद्देश्यों का पालन निष्ठा पूर्वक करे तो, वे ट्रस्ट का अध्यक्ष बन सकते
हैं। ध्येयता ग्रहण करते हेतु उसे निहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा।
जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा दी जायेगी।



सुनेन्द्र प्रसाद
सुनीता देवी वांछुवारा राणा
सुनीता देवी वांछुवारा राणा
20/12/2010

8. व्यवस्था है समाप्ति:- निम्न कारणों से व्यवस्था समाप्त किया जा सकता है:

- (1) स्वयं (पाठ-पत्र देने पर।
- (2) पाठक या मूल्क होने पर।
- (3) परिमिति और क्रियेबाह्य प्रस्ताव पारित होने पर।
4. स्थापक संसद द्वारा दण्डित होने पर
5. लोकतंत्र होने बैठकों में बिना ध्वजा के अनुपस्थित रहने पर।

9. प्रशासिकारी के अधिकार एवं कार्य:-

- अध्यक्ष:-
1. प्रायोजक बैंक की व्यवस्था करना।
 2. कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना।
 3. किसी विषय में समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का उपयोग करना।
 4. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

सचिव:- (i) बैंक के प्रायोजक बैंक का आजीवन करना।

- (ii) बैंक की ओर से सभी प्रस्तावों का प्रस्ताव करना।
- (iii) निधि का अंशदान करना एवं अन्य व्यय, लोन-बैंक से प्राप्त करना।
- (iv) कार्य कारिणी समिति के द्वारा से कर्मचारी की पारिभाषिक नियुक्ति एवं वर्क/सल्लाही के आदेश पारित करना।
- (v) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

कोषाध्यक्ष:- (i) संचय-व्यय का लेखा रखना।

- (ii) दान-चन्दा प्राप्त कर (सी देना।
- (iii) बैंक के कोष की किसी बैंक या स्टॉक-बजार में जमा करना।
- (iv) भा.प्र.अ.के.रा.नु.जा. (अपने पास 5000/- पाँच हजार रुपये तक रखता है तथा विशेष रकम के लिए समिति से पास करवा कर कर्ना
- कार्य कारिणी समिति के अधिकार/एवकार्य:-

- (i) इसके अलावा एक क्लरक संपत्ति का उपनिधि कार्य होगा।
- (ii) बैंक के सभी कार्यों का सम्पादन विधिगत बना एवं प्रस्ताव पारित करना।
- (iii) शा.प्र.अ.के.रा.नु.जा. का निष्काप करना।
- (iv) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

11. प्रयोजित बैंक :- (क) रिजर्व व्यवस्था के लिए लिखित मॉडल पर धर्मिक को 1/3 भाग के अन्तर्गत बैंक का आजीवन करना होगा यदि धर्मिक उच्च श्रेणी में बैंक को आजीवन नहीं करते हैं, तो डाकड़ों को देना होगा। डाकड़ों में विहित विषय के लिए बैंक का आजीवन कर सकता है।

सुनीता देवी पाठ कुशाभिका
 ता. 30/12/19
 लखनऊ का. वि. वि.
 30/12/2019

मनोज कुमार
 राजेश कुमार
 विजय कुमार
 रविशंकर कुमार

जोषणा मोहन प्रसाद
 स. सुखराज पाठ कुशाभिका
 पाठ. वि. वि. वि. वि.
 विद्या ता. 30/12/19



- 12. बैंक :-
 - 1. ~~कार्यकारी समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी।~~
 - 2. ~~आम-सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल में होगी।~~
 - 3. ~~आम-सभा एक कार्यकारी समिति की विशेष बैठक करीबी गुलाइ जा सकरी है।~~

13. जायज़ीति :- ~~प्रत्येक बैंक की जायज़ीति उसके कुल सदस्यों का सभा (10) प्रथम होगा।~~

- 14. बैंक की रूपना :-
 - (i) आम-सभा की रूपना 15 दिन पूर्व ही जाएगी।
 - (ii) आम-सभा की विशेष बैठक की रूपना 10 दिन पूर्व ही जाएगी।
 - (iii) कार्यकारी समिति की बैठक की रूपना 07 दिन पूर्व ही जाएगी।
 - (iv) कार्यकारी समिति की विशेष बैठक की रूपना 07 दिन पूर्व ही जाएगी।
 - (v) बैंक की रूपना जंपी में हल्लास प्राप्त व ला साक जाएगी जाएगी।

15. आप का खौल :- ~~सदारी एवं गौ. सदारी सन अनुदान, सहायता।~~

16. कोष का संग्रहन :- ~~इस के सभी कोष को किसी बैंक या डाक-घर से जमा किया जाएगा जिसकी बिकारी समय (9) कोषाध्यक्ष के सुझाव हल्लास हे की जाएगी।~~

17. नियम का अंकेक्षण :- ~~इस का आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आम-सभा के जाए नियुक्ति अंकेक्षण से प्रति वर्ष अंकेक्षण करा जाएगा।~~

18. जंपी का निरीक्षण :- ~~इस की सभी पंक्तियां निर्दिष्ट करालिय में जमा रहेंगी, जहाँ कोई भी सत्य सचिव की अनुमति से जंपी का निरीक्षण कर सकला है।~~

19. निष्ठापली में संशोधन :- ~~निष्ठापली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम-सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत के जाए किया जा सकला है।~~

20. कानूनी का ज़रूरी (विघटन) :-

(i) ~~इस पर या इस के जाए कानूनी बर्जकरी सचिव के पर नाम से सेंटा लगा कीध वकला की नियुक्ति समिति की सहमत है की जाएगी।~~

(ii) ~~इस का विघटन इस अधि नियम 1860 के जाए 13 के आलोक में किया जाएगा।~~

सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार
 सुनील कुमार

20/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10
 30/12/10

2. आम-सभा के 3/5 सदस्यों का प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जा सकता है।

(iv) विपक्षों/पक्षों जो चल च/अचल सम्पत्ति बचेगा वह किसी सदस्य या गैर-सदस्य में नही बाँटी जाएगी बल्कि आम-सभा की सहमति से समान इच्छा वाली दूसरी संस्था या अकादमी दे दी जाएगी।

21. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- (i) कार्यकारी समिति का चुनाव करना।
- (ii) अंशधारण का नियुक्ति करना।
- (iii) आय-व्यय लेखा परीक्षा लेवना एवं पारित करना।
- (iv) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

(समाप्त)

तारीख 30-12-2010 ई.

प्राचार्य
विश्वविद्यालय
राजपुरा



सही - अधिकारी द्वारा
जोसम इतर लिखा
गाम को देती है
विकास को सम्पत्ति
समाप्त किया
30/12/2010

3 सानो/ज कुमा
2012/2010
सुने प्रस्ताव

सही देवी गं कुमा
30, 12, 10

विनाय सावधान 30/12/10

महेश कुमार
12/12/10

556

50192/2090

552

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 64. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs.	1000
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs	0
(Paid Rs. 1000/- by N.J. Stamp Paper and Rs. 2185/- through Bank Challan)	
FEE PAID	
A1 2000 C 0 H1b 0 Ka1 0 Lii 0 LLR 0	
A8 0 D 0 H2 0 K1b 0 Liii 0 Proc. Fee 0	
A9 0 DD 0 I 0 K1c 0 Mb 0	
A10 0 E 0 J1 0 K2 0 Na 45	
B 0 H1a 0 J2 0 Li 0 Scan 140	
	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> Total Fee 2185 </div>


Date :

Registering Officer

Endorsement under section 52

Presented for registration at **03:37 PM** on the day **Thursday**, **30th December 2010** at the **Hilsa** D. R./ S. R. Office by **Sumitra Devi**

Lalan Kumar Sinha

by profession **Horse Wife**

 Signature of Presentant


Registering Officer

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by **Krishan Mohan Prasad** age Sex M son/daughter of **Late Mukhi Gope** resident of **Hilsa, Nalanda**.

Date:

Registering Officer



Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 4 of DSRO/ SRO Hilsa having 7 pages, in the volume **CD-1** and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Date:

Registering Officer

Token No. **8350**

SCORE Ver. 2.0 (Vinayak)

NIC BRSC, Patna, Bihar